फर्द अहकाम

मूलचन्द बनाम रामबाबू व अन्य
धारा - 128 LR Act

लय
10/2015

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
7/5/15	पत्रावली आज दिनांक को कैम्प फुटोलाव में प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी, रामबाबू, अविनाश, रामराय उपस्थित। उभय पक्षों की सुनवाई एवं अदालत की भावना से की गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 LR Act को स्वीकार किया जाता है, तथा ख०नं० 81/1 हाल ख०नं० 74, 75, 81/2 हाल ख०नं० 81/2 हाल ख०नं० 76 वाके ग्राम फुटोलाव तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर पर यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो तहसीलदार जमवारामगढ़ को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त भूमि की चारों ओर की सीमाओं की पत्थर गाढ़ी करना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। वादव्यय दाखिल रफ्तर हो।	① रामबाबू ② [illegible] (विपक्षी) अविनाश शर्मा (पत्रावली) रामबाबू

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़